न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/71/2019

अपीलाट कलाराम पुत्र श्री देमाराम विश्नोई
निवासी चौहटन आगोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन

आदेश

दिनांक : 21.10.2019

अपीलार्थी कलाराम पुत्र श्री देमाराम विश्नोई निवासी चौहटन आगोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार चौहटन के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या शून्य दिनांक शून्य का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचना दी जाना संभव नहीं है तथा प्रार्थी को तद्नुसार सूचित किया जा चुका हैं, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) मे प्राविधित किया गया है कि ''सूचना से किसी भी रूप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस सूचना, परिपत्र, आदेश, लोगबुक, संविदा, रिपोर्टें, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलैक्ट्रोनिक रूप मे रखी गई डाटा सामग्री और ऐसे किसी भी प्राईवेट निकाय से सम्बन्धित सूचना जिस पर तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन लोक अधिकारी की पहुॅंच हो, है'' अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट कार्यालय से चाही गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लिहाजा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने मे असमर्थता प्रकट की गई है तथा यह न्यायालय धारा 2(एफ) के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेंट के निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं। ऐसे में अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर